न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(सतर्कता) श्रीगंगानगर

प्रकरण संख्या :–03/15 वर्ष:– 2016

पीठासीन अधिकारी:– वीरेन्द्र कुमार वर्मा, आर.ए.एस.

जीत सिंह पुत्र लाल सिंह जाति रायसिख निवासी 1 एक्स तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
(अपीलांट)

बनाम

1.जीत सिंह पुत्र मुंशा सिंह जाति रायसिख निवासी 1 एक्स तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
2.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर। (रैस्पोडेंटस)

अपील विरूद्ध इंतकाल संख्या 244 दिनांक 04.06.2015 जिसकी रूह से अपीलान्ट के इंतकाल संख्या 232 को पूर्ण रूप से खारिज किया गया को रजिस्टर्ड दस्तबरदारी दिनांक 09.04.2014 के आधार पर आंशिक तौर पर स्वीकार कर दर्ज किये जाने बाबत।

उपस्थित:–

1. श्री मनजीतसिंह एडवोकेट जरिये अपीलांटस
2. श्री बचनसिंह एडवोकेट जरिये रैस्पो0

।। निर्णय ।। दिनांक 18/4/17

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलांट द्वारा अपील विरूद्ध मातहत अदालत इस आश्य की पेश अदालत की गई कि अपीलान्ट के पिता लाल सिंह द्वारा चक 13 एस ए के मु0 नं0 18,26 में से 5 बीघा नहरी भूमि का जीत सिंह पुत्र मुंशा सिंह के साथ किये गये इकरारनामा के आधार पर माननीय न्यायालय सविल न्यायाधीश (व0खं0) द्वारा जीत सिंह पुत्र मुंशा सिंह के नाम रजिस्ट्री करवा दी गई। जिस रजिस्ट्री की पालना में राजस्व पटवारी 2 एक्स द्वारा दिनांक 04.06.2015 को इंतकाल संख्या 244 दिनांक 04.06.2015 अपीलान्ट के नाम दर्ज 1.064 हैक्टर नहरी भूमि का पूरा इंतकाल खारिज करते हुये दर्ज किया गया। जिसमें अपीलान्ट व उसके अन्य रिश्तेदारों के हिस्से की भूमि निम्न प्रकार से काटकर जीत सिंह पुत्र मुंशा सिंह के नाम उक्त इंतकाल दर्ज किया गया :–

| | | |
|---|---|---|
| 1 | लाल सिंह पिता बाया | 0.745 हैक्टर |
| 2 | जीत सिंह पुत्र बाया | 0.087 हैक्टर |
| 3 | रूड सिंह पुत्र बाया | 0.0866 हैक्टर |
| 4 | दलीप कौर– सांतो बाई– अमरो बाई | 0.2598 |
| 5 | निरंजन सिंह–कश्मीर सिंह प्रीतम सिंह (पुत्री के पुत्र) | 0.0866 हैक्टर |

कुल – 1.265 हैक्टर नहरी

अपील मीमो में कहा गया कि जीतसिंह पुत्र मुंशा सिंह के नाम 1.265 हैक्टर नहरी भूमि का इंतकाल दर्ज किया गया। अपीलान्ट जीत सिंह पुत्र लाल सिंह के पास स्वयं की भूमि 1.597 हैक्टर थी तथा इसके द्वारा अपने भाई चरण सिंह पुत्र लाल सिंह से जरिये दस्तबरदारी उसके हिस्सा की 0.362 हैक्टर नहरी भूमि प्राप्त की गई इस प्रकार से अपीलान्ट जीत सिंह पुत्र लाल सिंह के पास स्वयं की भूमि 1.597हैक्टर(+) अपने भाई चरण सिंह से जरिये दस्तबरदारी प्राप्त भूमि 0.362 हैक्टर कुल 1.959 हैक्टर नहरी भूमि अपीलान्ट के पास बची थी। जिसमें से उक्त इंतकाल संख्या 244 दिनांक 4.6.15 के आधार पर 0.087 हैक्टर भूमि काटकर जीत सिंह पुत्र मुंशा सिंह के नाम दर्ज किया गया है, जोकि आंशिक तौर पर खारिज कर दर्ज किया जाना चाहिए था। परन्तु तहसीलदार राजस्व के आदेश से पूर्ण रूप से उक्त इंतकाल संख्या 232 को खारिज कर इंतकाल संख्या 244 दर्ज किया गया

अति. जिला कलेक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

है जो काबिले निरस्ती के है। अपीलान्ट के पास 1.872 हैक्टर भूमि शेष बची है तथा अपीलान्ट जीत सिंह पुत्र लाल सिंह द्वारा अपनी तीनों बहिनो दलीप कौर, संतो बाई, अमरो बाई पुत्रियां लाल सिंह से दिनांक 09.04.2014 को जरिये रजिस्टर्ड दस्तबरदारी उनके बहिस्सा बराबर की 1.064 हैक्टर नहरी भूमि प्राप्त की गई परन्तु उक्त इंतकाल संख्या 244 दिनांक 04.06.2015 के आधार पर दलीप कौर, संतो बाई, अमरों बाई पुत्रियां लाल सिंह के हिस्सा की 1.064 हैक्टर बहिस्सा बराबर में से 0.2598 हैक्टर भूमि काटकर जीत सिंह पुत्र मुंशा सिंह के नाम दर्ज कर दी गई है। क्योंकि 0.2598 हैक्टर भूमि जीत सिंह पुत्र मुंशा सिंह के नाम दर्ज हो चुकी है तथा अपीलान्ट जीत सिंह पुत्र लाल सिंह द्वारा अपनी तीनों बहिनों दलीप कौर, संतो बाई, अमरो बाई पुत्रियां लाल सिंह दिनांक 09.04.2014 को जरिये रजिस्टर्ड दस्तबरदारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है। इस प्रकार तीनों बहिनों का हिस्सा

| | |
|---|---|
| दलीप कौर, संतो बाई, अमरो बाई पुत्रियां लाल सिंह का हिस्सा :– | 1.064हैक्टर |
| इंतकाल संख्या 244/04.06.2015 में काटा गया हिस्सा | 0.259 हैक्टर |
| कम होने के बाद | 0.805 हैक्टर |

अर्थात अपीलान्ट के पास माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड श्रीकरणपुर के आदेश से अपीलान्ट द्वारा अपनी बहिनों से जरिया दस्तबरदारी प्राप्त की गई 1.064 हैक्टर नहरी भूमि में से काटी गई 0.259 हैक्टर भूमि को छोडकर बाकी बची 0.805 हैक्टर भूमि का इंतकाल अपीलान्ट के नाम से दर्ज किया जाना कानून न्यायोचित है। अपीलान्ट द्वारा अपनी तीनों बहिनो दलीप कौर, संतो बाई, अमरो बाई से जरिये रजिस्टर्ड दस्तबरदारी भूमि प्राप्त की गई 1.064 हैक्टर नहरी भूमि में से 0.805 हैक्टर भूमि शेष बची है जिसका अपीलान्ट अपने नाम से इंतकाल करवाना चाहता है तथा उक्त बची 0.805 हैक्टर भूमि पर किसी भी प्रकार से किसी भी न्यायालय में स्थगन आदेश वगैरा नहीं है और ना ही किसी भी न्यायाल में उक्त भूमि से संबंधित कोई वाद जेरकार है। इस प्रकार से अपीलान्ट के हिस्सा की भूमि होगी:–

| | |
|---|---|
| अपीलान्ट के पास बची भूमि | 1.872 हैक्टर |
| रजिस्टर्ड दस्तबरदारी दिनांक 09.04.2014 के आधार पर बची भूमि | 0.805 हैक्टर |
| | 2.677 हैक्टर |

इस प्रकार से अपीलान्ट के स्वयं की व अपनी बहिनों से जरिये रजिस्टर्ड दस्तबरदारी में प्राप्त की गई 1.064 हैक्टर भूमि में से न्यायालय सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड श्रीकरणपुर के आदेश से काटी गई 0.259 हैक्टर भूमि को छोडकर कुल भूमि 2.677 हैक्टर भूमि का अपीलान्ट से इंतकाल दर्ज करवा पाने का अधिकारी है तथा इंतकाल संख्या 244 को आंशिक तौर पर खारिज किया जाना आवश्यक है। उक्त दस्तबरदारी दिनांक 22.04.2014 क्रमांक 555 के आधार पर अपीलान्ट द्वारा जरिये दस्तबरदारी इन्तकाल दर्ज करवाने के लिये उपतहसीलदार केसरीसिंहपुर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिनांक 11.08.2015 बाबत दर्ज किये जाने इन्तकाल का पेश किया गया परन्तु पटवारी हल्का जितेन्द्र सिंह एवं उप तहसीलदार, केसरीसिंहपुर द्वारा उक्त रजिस्टर्ड दस्तबरदारी दिनांकित 22.04.2014 क्रमांक 555 के आधार पर अपीलान्ट द्वारा अपनी बहिनो से जरिये दस्तबरदारी प्राप्त की गई भूमि का इन्तकाल अपीलान्ट के नाम से दर्ज करने से इन्कार कर दिया गया और अपीलान्ट को सक्षम न्यायालय के समक्ष वाद पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया तथा कहा गया कि वह अपनी बहिनों से पुनः दस्तबरदारी करवाये। जबकि आज कल भूमि की कीमते बढ जाने से अपीलान्ट को भारी व कानूनी पेचिदगियों में फंसना पडेगा तथा मुकदमे–बाजी बढेगी इसलिये भी 0.805 हैक्टर भूमि का इंतकाल अपीलान्ट के नाम से दर्ज किया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 11.08.2015 को उक्त रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 22.04.2014 क्रमांक 555 के आधार पर इन्तकाल दर्ज करवाने के लिये उपतहसीलदार राजस्व केसरीसिंहपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया गया था, परन्तु उपतहसीलदार महोदय केसरीसिंहपुर द्वारा इन्कार कर दिये जाने पर आप न्यायालय के समक्ष समयावधि के भीतर अपील प्रस्तुत की जा रही है। अपीलांट की इस्तदुआ है कि अपील स्वीकार की जाकर चाहा गया अनुतोष प्रदान किया जाये।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई व रैस्पोडेंटस को सुनवाई हेतु तलब किया गया। रैस्पोडेंट की ओर से श्री बचनसिंह एडवोकेट द्वारा वकालतनामा पेश किया गया व पैरवी की गई। अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया।

बहस उभय पक्षीय सुनी गई। सुयोग्य अधिवक्ता अपीलांट द्वारा बहस के दौरान अपील में दर्ज तथ्यों को दोहराया व व्यक्त किया गया कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जावे।

इसके विरोध में वकील रैस्पो. का कथन है कि अपील मियाद बाहर है। डिले कन्डोन करवाने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है देरी का दिन ब दिन कारण नहीं दर्शाया गया है। अतः अपील खारिज योग्य है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त व विधि सम्मत आदेश पारित किया गया है। वकील रैस्पो. द्वारा लिखित बहस भी पेश की गई व इस्तदुआ की कि अपील खारिज की जावे।

समायत की गई बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गौर पूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलांट के पिता लाल सिंह की चक 13 एस ए मु0नं0 18–26 तादादी 5.00 बीघा जीतसिंह पुत्र मुंशासिंह के साथ इकरारनामा किया गया व सिविल न्यायाधीश श्री करणपुर के आदेश से रजिस्ट्री करवाई गई। जिस पर इन्तकाल संख्या 244 दिनांक 04.06.15 स्वीकृत हुआ। अपीलांट के नाम दर्ज 1.064 हैक्टर नहरी पूरी भूमि का इन्तकाल खारिज कर दिया। जीतसिंह पुत्र मुंशासिंह के नाम 1.265 हैक्टर नहरी दर्ज किया गया। अपीलांट के पास स्वयं की भूमि 1.597 हैक्टर, भाई चरणसिंह से जरिये दस्तबरदारी 0.362 हैक्टर कुल 1.872. इस प्रकार इन्तकाल संख्या 244 दिनांक 04.06.2015 के आधार पर 0.087 हैक्टर काटकर जीतसिंह पुत्र मुंशासिंह के नाम से दर्ज किया गया है। इन्तकाल संख्या 232 जो सिविल न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.01.2015 की पालना में अस्वीकृत किया गया था में अपीलांट के हिस्से को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं देखा गया है। इस संबंध में विस्तृत जांच अपेक्षित है।

उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अपील स्वीकार की जाकर अपीलकृत इन्तकाल संख्या 244 दिनांक 04.06.15 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्षकारों को यथोचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर दिया जाकर उसकी बहिनों द्वारा की गई रजिस्टर्ड दस्तबरदारी के तथ्य एवं कम की गई भूमि को ध्यान में रखते हुए पुनः नये सिरे से आदेश पारित करें।

निर्णय की प्रति के साथ रिकार्ड अदालत मातहत को लौटाया जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील हस्ब जाब्ता दाखिल दफतर हो।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर